

दिनांक	आज्ञा पत्र	
<p>6.8.23 <del>25.7.23</del></p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक..... को पेश हो।</p>	
<p>25.7.23</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ ने आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक/2.9.23 को पेश हो</p>	<p>नोटिस जारी 88-89 3.1.24</p>
<p>12.09.23</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलान्त/रेसपो.उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज..... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक..... को पेश हो।</p>	<p>नोटिस जारी 90 3.1.24</p>
<p>9.1.24</p>	<p>पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ ने आज न्यायिक कार्य स्थापित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक/2.1.24 को पेश हो</p>	<p>CC पत्रावली 121/2015 हिलमग</p>
<p>12.9.23</p>	<p>पत्रावली पेश। वकील अपीलान्त को हिदायत दी जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत का रिकार्ड प्राप्त शामिल पत्रावली में / तलब किया जाये। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 30/4/24 को पेश हों। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>	<p>R</p>
<p>30/4/24</p>	<p>पत्रावली पेश वकील अपीलान्त को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेसपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेसपोर्टस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय तुरंत इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर को कम होकर बाद तरतीब तकमिल दाखिल दफतर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कम्प्युटर्न)</p>	<p>30/4/24</p> <p>Seal: न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अधिकारी सीकर (कम्प्युटर्न)</p>